न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

सोमाराम पुत्र गमनाजी, जाति– कलबी, निवासी– मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. अगराराम पुत्र गमनाजी, जाति–कलबी, निवासी– मण्डार, तह. रेवदर, जिला–सिरोही
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला– सिरोही

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्याः 67/2021

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अप्रार्थी संख्या– 1 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या–2 की ओर से

–ः निर्णय ः– **दिनांक 06 अक्टूम्बर, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 27/2020 अगराराम बनाम सोमाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 31.3.2021 के पुनर्विलोकन हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (अगराराम) की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या– 2 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 (अगराराम) की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत हुआ।

(3) उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 27.9.2021 को सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी सोमाराम व अप्रार्थी अगराराम दोनों भाई है एवं दोनों की संयुक्त कृषि भूमि का इन दोनों ने आपसी सहमति से उप तहसीलदार, मण्डार के समक्ष उपस्थित होकर बंटवाड करवाया। उप तहसीलदार, मण्डार ने आपसी सहमति के उक्त बंटवाड प्रस्ताव को आदेश क्रमांकःभू.अ./2019/74 दिनांक 26.9.2019 के द्वारा स्वीकार हल्का पटवारी को बंटवाड प्रस्ताव अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु आदेशित किया गया। जिसका हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। उसके बाद प्रार्थी सोमाराम ने उसके हिस्से आई कृषि भूमि में वाणिज्यिक पैट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु जिला कलक्टर, सिरोही को आवेदन किया गया। जिस पर जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा प्रार्थी सोमाराम की भूमि का वाणिज्यिक पैट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ [illegible] किया गया है व उसका रेकर्ड

.....पेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:51:34 IST
Reason: SelfAttested

में भी अमल दरामद हुआ। उसके बाद हिन्दुस्तान पैट्रोलियम लिमिटेड ने प्रार्थी सोमाराम की भूमि पर पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उसके बाद प्रार्थी सोमाराम ने अपने हिस्से की भूमि जो सोमाराम ने वाणिज्यिक पैट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करवाई थी में पैट्रोल पम्न का निर्माण करवाया, उसके बाद से आज दिन तक मौके पर प्रार्थी सोमाराम का पैट्रोल पम्प चल रहा है। पैट्रोल पम्प चालू होने के बाद अप्रार्थी अगराराम की नियत में खोट आने से उसने पैट्रोल पम्प में भागीदारी मांगी और झूठे एवं मिथ्या आरोप लगाकर अप्रार्थी अगराराम ने उक्त आपसी सहमति के बंटवाड प्रस्ताव को निरस्त कराने हेतु इस न्यायालय में करीब 11 माह के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की, जिसके अपील संख्या 27/2020 है एवं अपील के साथ धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने के बाद अपील के विचाराधीन रहते हुए सोमाराम द्वारा धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। जिस पर इस न्यायालय द्वारा धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र दिनांक 19.3.2021 को दोनों पक्षों के अधिवक्तओं की बहस सुनी गई एवं निर्णय हेतु दिनांक 22.3.2021 नियतम की गई, लेकिन दिनांक 22.3.2021 को निर्णय नही सुनाया जाकर निर्णय हेतु दिनांक 31.3.2021 नियत की गई। दिनांक 31.3.2021 को इस न्यायालय द्वारा धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर निर्णय किया जाना था कि अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाये अथवा नही, लेकिन इस न्यायालय द्वारा मूल अपील प्रकरण में गुणावगुण पर बहस सुने बिना ही मूल अपील संख्या 27/2020 में दिनांक 31.3.2021 को निर्णय पारित कर प्रकरण उप तहसीलदार, मण्डार को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। इस न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने मूल अपील में बहस सुने बिना ही मूल अपील में निर्णय पारित किया है, जो विधि विरुद्ध है। चूंकि मूल अपील प्रकरण में प्रार्थी सोमाराम के अधिवक्ता को नही सुना गया है। प्रार्थी सोमाराम के अधिवक्ता द्वारा केवल धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर ही बहस की गई थी, इसलिये इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 31.3.2021 का पुनरावलोकन किया जाकर धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के आदेश को यथावत रखते हुए मूल अपील में पारित निर्णय दिनांक 31.3.2021 को निरस्त किया जाकर मूल अपील को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाना आवश्यक एवं न्याय सगंत है। इस न्यायालय द्वारा उक्त राजस्व अपील संख्या 27/2020 में दिनांक 31.3.2021 को जो निर्णय पारित किया है वह अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पारित किया है, जबकि उक्त अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत पेश हुई थी, इससे भी यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन करके राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत अपील को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत निर्णत करके त्रृटि की है। [illegible] उक्त निर्णय दिनांक 31.3.2021 के पृष्ठ संख्या 5 में पेरा संख्या 2 [illegible] यह [illegible] किया है कि "अगराराम व सोमाकराम के मध्य उनकी [illegible] आपसी सहमति के

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:51:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला [illegible]
सिरोही (राज.)

बंटवाड हेतु स्टाम्प पेपर दिनांक 18.9.2019 को सोमाराम द्वारा क्रय किया गया है एवं इस आपसी लिखतनामा शपथ पत्र पर अपीलार्थी अगराराम व सोमाराम के हस्ताक्षर/अंगूष्ठ निशानी अंकित है, लेकिन लिखतनामा शपथ पत्र नोटेरी पल्कि से तस्दीक शुदा नही है।" इस संबंध में इस न्यायालय ने निर्णय में यह स्पष्ट नही किया है कि किन नियमों के तहत नोटेरी पब्लिक से तस्दीक शुदा शपथ पत्र पीठासीन अधिकारी उप तहसीलदार, मण्डार के समक्ष प्रस्तुत होना आवश्यक था। इस न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि अगराराम व सोमाराम ने आपसी लिखतनामा शपथ पत्र उप तहसीलदार, मण्डार को प्रस्तुत किया था, यदि शपथ पत्र के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति होती तो पीठासीन अधिकारी उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा आपत्ति की जाती, लेकिन उप तहसीलदार, मण्डार को उक्त शपथ पत्र सोमाराम व अगराराम ने उपस्थित होकर प्रस्तुत किया था, इसलिये उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा शपथ पत्र पर कोई आपत्ति नही की गई। यह कि उक्त अपील में जो निर्णय पारित किया है उसमें यह भी अंकित किया गया है कि अगराराम को सुनवाई का अवसर नही दिया है और इस आधार अपील उप तहसीलदार, मण्डार को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गई है, जबकि ग्राम दानपुरा में स्थित प्रार्थी सोमाराम व अप्रार्थी अगराराम की संयुक्त खातेदारी की भूमि का आपस में सहमति से बंटवाडा होकर सहमति के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव उप तहसीलदार, मण्डार को प्रस्तुत किये थे, जहां सहमति से बंटवाड प्रस्ताव प्रस्तुत हुये हो और आपसी सहमति के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव स्वीकृत हुये है, वहां दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिये जाने की आवश्यकता नही रहती है। सुनवाई का अवसर दिये जाने की आवश्यकता तब होती है, जब कोई आदेश पीठ पीछे या एक तरफा पारित किया गया हो। चूंकि इस प्रकरण में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से बंटवाड प्रस्ताव प्रस्तुत हुये व उसी अनुरुप बंटवाड प्रस्ताव को उप तहसीलदार ने स्वीकृत किया है तो अगराराम को सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता ही नही रहती है। यह कि अप्रार्थी अगराराम ने सोमाराम के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा भी दर्ज करवाया था जिसमें पुलिस द्वारा एफ.आर. लगाई गई है। प्रार्थी सोमाराम के हिस्से में जो ज्यादा भूमि आई है उस भूमि के बदले सोमाराम ने अगराराम को पैसे दिये है। अप्रार्थी अगराराम ने उसके हिस्से में आई भूमि जो प्रार्थी सोमाराम के पैट्रोल पम्प के पास ही स्थित है में पक्की दुकानों का निर्माण करवाया है, इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि का बंटवाड आपसी सहमति से हुआ है जिसके संबंध में अप्रार्थी अगराराम को शुरु से जानकारी थी। प्रार्थी के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त RRT 2007(2) Page No. 1057, RRT 2018(1) Page No. 265, RRT 2019(1) Page No. 108, RRT 2013(2) Page 808, S.Court 2011(4) Page No. 62 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आपसी सहमति के आधार पर जो बंटवाड स्वीकृत किये जाते है या आपसी सहमति के आधार पर कोई प्रकरण निस्तारित किया जाता है तो उसके विरुद्ध अपील कानूनन परिपोषणीय नही है। जिस भूमि के संबंध में अपील हुई है वह भूमि वाणिज्यिक पैट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित हो चुकी है एवं वह भूमि अब कृषि या राजस्व भूमि [illegible] है, इसलिये वाणिज्यिक पैट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि [illegible] न्यायालय को [illegible]

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:51:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.

न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

नही होकर सिविल न्यायालय को ही है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि मूल अपील में गुणावगुण पर अन्तिम बहस नही हुई है, तत्समय पीठासीन अधिकारी के समक्ष केवल मियाद पर ही बहस हुई थी, यदि मूल अपील में बहस हुई होती तो प्रार्थी सोमाराम के अधिवक्ता द्वारा उक्त विधिक दृष्टान्त अवश्य प्रस्तुत किये जाते है। अत: प्रार्थी सोमाराम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 27/2020 में पारित निर्णय दिनांक 31.3.2021 को निरस्त किया जाकर अपील को सुनवाई हेतु पुन: नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित किये जावे। जबकि अप्रार्थी अगराराम के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी अगराराम के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अगराराम द्वारा प्रस्तुत अपील का इस न्यायालय पर बाद सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय किया जा चुका है, लेकिन प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर यह पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस न्यायालय के निर्णय में On the face of record कोई लिपिकिय त्रृटि हुई है तो उसे पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के जरिये दुरस्त किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जा चुका है, तो गुणावगुण पर किये गये ऐसे निर्णयों के विरुद्ध अपील किये जाने का ही प्रावधान है। पुनर्विलोकन का दायरा बहुत ही सीमीत होता है, प्रार्थी सोमाराम द्वारा बताये गये आधार पुनर्विलोकन की परिसीमा में नही आते है। इस न्यायालय द्वारा अपील में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का पूर्ण रुप से अध्ययन व अवलोकन करके गुणावगुण पर विधि अनुरुप निर्णय पारित किया गया है। यह कि अप्रार्थी अगराराम ने अपने पीठ पीछे कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर भूमि के किये गये विभाजन को अपने हक अधिकारों के लिये विधि अनुसार अपील के जरिये चुनौती दी थी, जो अप्रार्थी अगराराम का अधिकार था। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें इस न्यायालय ने अपील प्रस्तुत में हुये विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने के बाद ही अपील पर गुणावगुण में निर्णय किया गया है। प्रार्थना पत्र व अपील की अलग अलग बहस सुने जाने का कोई प्रावधान नही है, इस न्यायालय द्वारा पहले धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया है, उसके बाद गुणावगुण पर अपील का निर्णय किया गया है। इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में कोई भूल या त्रृटि कारित नही की है। जहां तक, क्षेत्राधिकार का प्रश्न है? अपील की सुनवाई के दौरान प्रार्थी सोमाराम ने आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जो इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि क्षेत्राधिकार के बिन्दु को इस न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में पारित आदेश के द्वारा निर्णित किया जा चुका है। यदि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के स्थान पर सहवन से धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 टंकित हो गया है तो उसमें कोई विधिक त्रुटि नही हुई है, बल्कि यह एक लिपिकिय त्रृटि है जिसे धारा 152 सी.[illegible] तहत सुधारा जा सकता है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने यह [illegible] कि [illegible] ने अपने पुत्र व

....पेज पांच पर

प्रति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:51:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व कार्मिकों के साथ मिलकर आपसी सहमति से विभाजन करवाया है, जबकि अप्रार्थी अगराराम कभी भी उप तहसील कार्यालय में आपसी सहमति से विभाजन हेतु उपस्थित नही हुआ है तथा न ही उप तहसीलदार द्वारा प्रकरण को दर्ज कर आदेशिकायें लिखी गई है। समस्त कार्यवाही अप्रार्थी अगराराम के पीठ पीछे की गई है। समझौता पत्र व शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से तस्दीक शुदा नही है व न ही उप तहसीलदार से तस्दीक शुदा है। यदि उप तहसीलदार ने बंटवाड प्रस्ताव तस्दीक किये है तो दोनों पक्षों की उपस्थिति आवश्यक है व उसकी आदेशिका भी लिखी जानी चाहिये थी, लेकिन उक्त बंटवाड प्रस्ताव अप्रार्थी अगराराम के पीठ पीछे तस्दीक किये गये। अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त AIR 1995 SUPREME COURT 455, AIR 2014 SC(Supp)1798, 2014(14)RBJ Page 325, 2014(14) RBJ Page 625, 2014(14) RBJ Page 785, 2016(23) RBJ Page 27, 1994(1)RBJ Page 109, 2009(16)RBJ Page 261 में अंकित तथ्यों की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि इस न्यायालय ने अपील में गुणावगुण पर विधि अनुरुप निर्णय किया है, जिसका पुनर्विलोकन नही किया जा सकता है। अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा आपसी सहमति के बंटवाड प्रस्ताव को स्वीकार करने के पारित आदेश क्रमांक: भू.अ./2019/74 दिनांक 26.9.2019 को निरस्त कराने हेतु अगराराम पुत्र गमना जी, जाति- कलबी, निवासी- मण्डार द्वारा सोमाराम पुत्र गमना जी, जाति- कलबी, निवासी- मण्डार व अन्य के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी एवं अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया। अगराराम पुत्र गमना जी, जाति- कलबी, निवासी- मण्डार द्वारा प्रस्तुत अपील को इस न्यायालय में राजस्व अपील संख्या: 27/2020 पर दर्ज किया गया। इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 27/2020 अगराराम बनाम सोमाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 31.3.2021 के अनुसार अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर उप तहसीलदार, मण्ड़ार द्वारा अपीलार्थी अगराराम व प्रत्यर्थी सोमाराम के संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि के आपसी बंटवाड प्रस्ताव को स्वीकृत करने के पारित आदेश क्रमांक:भू.अ./2019/74 दिनांक 26.9.2019 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उप तहसीलदार, मण्ड़ार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि अगराराम एवं सोमाराम को सुनवाई का अवसर देते हुए पुन: विधि सम्मत आदेश पारित करे।

इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या: 27/2020 में पारित निर्णय दिनांक 31.3.2021 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित कर विलम्ब की अवधि को कन्डोन करने के पश्चात् अपील में सभी तथ्यों पर गुणावगुण पर विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:51:34 IST
Reason: SelfAttested

....पेज छ: पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जहां तक, इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्याः 27/2020 में पारित निर्णय दिनांक 31.3.2021 के पुनर्विलोकन का प्रश्न है? मैंने न्यायालय पत्रावली पर ऐसे कोई भी लेखबद्ध कारण नही पाए है, जिसके आधार पर इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 31.3.2021 का पुनर्विलोकन किया जा सकता हो। यदि इस न्यायांलय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.3.2021 में अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के स्थान पर धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 अंकित हो गया है, तो वह लिपिकिय त्रृटि की श्रेणी में आता है, जिसमें संबंधित पक्षकार के आवेदन पर किसी भी समय सुधार किया जा सकता है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्याः 27/2020 में पारित निर्णय दिनांक 31.3.2021 में तथ्यों या विधि की कोई त्रृटि होना प्रतीत नही होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि पुनर्विलोकन का दायरा सीमीत है। किसी आदेश या निर्णय का पुनर्विलोकन संबंधित न्यायालय द्वारा उन्हीं परिस्थितियों में किया जा सकता है, जब कोई आदेश या निर्णय विधि या तथ्य की त्रृटि या मिथ्याधारणा में पारित किया गया हो। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:31:34 IST
Reason: SelfAttested